[2008] 1 एस. सी. आर. **426**

के. एस. कृष्णा सरमा

बनाम

किफायत अली

(सी. ए. सं. **187/2008)**

9 जनवरी**, 2008**

(न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत और न्यायाधिपति पी. सतशिवम**)**

सिविल प्रक्रिया संहिता*, 1908:*

स्वामित्व और क़ब्ज़े की घोषणा के मामले में विधिक प्रतिनिधियों का अभियोजन – मृतक प्रतिवादी सं. *2* की बेटी को प्रकरण में पक्षकार के रूप में अभियोजित किए बिना वादी के पक्ष में वाद को डिक्री किया गया – प्रकरण को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचारण न्यायालय को रिमांड किया और प्रतिवादी सं. *2* के विधिक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में पारित डिक्री को दोषपूर्ण माना - विचारण न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई - प्रतिवादी सं. *1* द्वारा कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करके अतिरिक्त साक्ष्य पेश की गई– अभिनिर्धारित*:* उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित स्पष्टीकरण आदेश के दिशा निर्देश के अनुसार

प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने की अनुमति नहीं है और प्रतिवादी सं. *1* को ख़ुद को नव – अभियोजित प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथनों में लिए गए प्रतिरक्षा के आधार तक सीमित रखना है – इसके अतिरिक्त, केवल प्रतिवादी सं. *2* की बेटी को प्रकरण में पक्षकार के रूप में अभियोजित करने व जवाब दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी थी – भारत का संविधान, *1950* – अनुच्छेद *227*।

प्रत्यर्थी-वादी ने स्वामित्व और क़ब्ज़े की घोषणा के बाबत् एक वाद दायर किया। प्रकरण के लंबित रहते हुए प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी के अलावा सभी विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। विचारण न्यायालय ने वाद को वादी के पक्ष में डिक्री किया। प्रतिवादी द्वारा दायर की गई अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया की प्रतिवादी सं. 2 की बेटी जो की उसकी विधिक प्रतिनिधि है, की अनुपस्थिति में पारित डिक्री दोषपूर्ण है और यह निर्देश देते हुए मामले को विचारण न्यायालय को रिमांड किया कि प्रतिवादी सं. 2 की बेटी को रिकॉर्ड पर लिया जाए। उक़्त आदेश को प्रत्यर्थी ने एल.पी.ए. के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी। खंड न्यायपीठ ने मामले को एकल न्यायाधीश को इस दिशा-निर्देश के साथ प्रेषित किया कि मामले की पुनःसुनवाई प्रतिवादी सं. 2 की बेटी के हद तक की जाये और उनकी अनुपस्थिति में पारित डिक्री की वैधता व मामले के अन्य मुद्दों के गुण-दोष पर विचार करे। विद्वान

एकल न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए मामले में नये सिरे से जाँच के निर्देश के साथ श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर लिए जाने व उनके लिखित कथनों को पत्रावली पर लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले को विचारण न्यायालय को रिमांड किया। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि संपूर्ण साक्ष्य को नये सिरे से लेखबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रतिवादी सं. 2 की बेटी को पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया और उसके द्वारा अपना जवाब दावा भी पेश किया गया। पी.डब्लू.1 को फिर से बुलाकर परीक्षित किया गया। प्रतिवादी सं.1 (डी.डब्ल्यू.1) ने अपने मुख्य परीक्षण के बदले में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निवेदन किया जिसके माध्यम से नये दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सके। विचारण न्यायाधीश ने उक़्त अतिरिक्त हलफ़नामे को लोटाते हुए यह निर्देश दिया कि नव – अभियोजित पक्षकार के हित की हद तक नया हलफ़नामा पेश किया जाए। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक़्त आदेश को प्रतिवादी सं. 1 ने सिविल पूर्णवलोकन याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत् चुनौती दी। उक़्त याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा सीमित अवधि में ख़ारिज कर दिया गया। उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रतिवादी ने हस्तगत अपील दायर की है।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

1.1: उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित स्पष्टीकरण आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में नये सिरे से सभी मुद्दों पर संपूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह निर्देश दिया कि मूल वाद में प्रतिवादी सं. 2 की बेटी को उक़्त प्रकरण में पक्षकार के रूप में अभियोजित किए जाकर रिकॉर्ड पर लेने व जवाब दावा दायर करने की अनुमति प्रदान की गई है और उनके दावे के साथ-साथ अन्य सामग्रियों, जो की रिकॉर्ड पर मोजूद है, के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाए। वास्तव में, प्रकरण को रिमांड करने और प्रतिवादी सं. 8 को अभियोजित करने के पश्चयात्, पीडब्लू-1 ने ख़ुद को प्रतिवादी सं. 8 के विरुद्ध मामले के हद तक ही सीमित रखा। उसी उपरांत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से यह प्रतिपादित किया की प्रथम प्रतिवादी को नए सिरे से अन्य मुद्दों पर साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण आदेश सहित पूर्व के आदेशों को सही तरीक़े से समझकर प्रथम प्रतिवादी को सही दिशा-निर्देश जारी किए गए कि उसे प्रतिवादी सं.8 द्वारा अपने लिखित कथनों में लिए गए प्रतिरक्षा के आधार तक ख़ुद को सीमित रखना है।

1.2: यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्षकारों को केवल नव-अभियोजित प्रतिवादी सं. 8 द्वारा अपने लिखित कथनों में लिए गए प्रतिरक्षा के आधार के संबंध में नए साक्ष्य लेखबद्ध करवाने की अनुमति है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 187/2008।

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा सी. आर. पी. संख्या 3360/2005 में पारित अंतिम आदेश दिनांकित के विरुद्ध-

अपीलार्थी की ओर से – श्रीधर पोटाराजू, डी. जूलियस रियामी और जॉन मैथ्यू।

प्रत्यर्थी की ओर से - अनिल कुमार तांडले।

न्यायाधिपति, पी. सतशिवम.

1) अनुमति दी गई।

2) यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश (सी. आर. पी. सं. 3360/2005) दिनांकित 13.09.2005 के खिलाफ निर्देशित है जिसमे विद्वान न्यायाधीश ने 10वें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के आदेश (ओ. एस. सं. 296/1982) दिनांक 24.02.2005 को सही ठहराया।

3) प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि:

ओ. एस. सं. 296/1982 में 10वें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष फाइल में प्रथम प्रतिवादी हस्तगत अपील में अपीलार्थी है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित वाद में वादी था। वादी ने उपरोक्त वर्णित वाद बाबत् कृषि भूमि (32 एकर, सर्वे स. 141, 142, 143) और स्वर्गीय सालारजंग से संबंधित इमारतों के संबंध में स्वामित्व की घोषणा एवम् पारिणामिक क़ब्ज़ा का दायर किया। उक़्त वाद मूल रूप से के. एस. कृष्ण शर्मा, जो की अपीलार्थी है व प्रतिवादी शेषाचलपति के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। वाद के लंबित रहते हुए शेषाचलपति की मृत्यु हो गई और उनके विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लिया गया (आई. ए. सं. 189/1983)। इनमें से स्वर्गीय शेषाचलपति की बेटी श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया चूंकि प्रार्थी का अभिलेख पर लाने का आवेदन तलबाने के अभाव में खारिज किया गया। अन्य विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रथम व चतुर्थ प्रतिवादियों द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया। अंत में वाद वादी के पक्ष में डिक्री हुआ। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गयी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पता लगने पर कि श्रीमती ए. अन्नपूर्णा जो की एक विधिक प्रतिनिधि है उनकी अनुपस्थिति में डिक्री पारित की गई थी, इस कारण डिक्री दोषपूर्ण है और अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश

के साथ रिमांड किया कि श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर लिया जाए। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक़्त आदेश को वादी द्वारा एल.पी.ए. सं. 27/1997 के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी गई। खंड न्यायपीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करते हुए मामले को एकल न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि प्रकरण को प्रत्यर्थी सं. 8 जिसे अपीलार्थी सं. 3 के रूप में स्थानांतरित किया गया है, के हद तक फिर से सुनवाई करे और प्रत्यर्थी सं. 8 की अनुपस्थिति में पारित डिक्री की वैधता व मामले की गुण-दोष पर विचार करे। इसके बाद, उक़्त मामले की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई और दिनांक 07.03.2000 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए मामले में नये सिरे से जाँच के निर्देश के साथ श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर लिए जाने व उनके लिखित कथनों को पत्रावली पर लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले को विचारण न्यायालय को रिमांड किया गया। स्पष्टीकरण के लिये एक आवेदन सी.एम.पी. सं. 22134/2000 दायर किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि पूरे साक्ष्य को नए सिरे से दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रीमती. ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर लिया जाये और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथनों को दर्ज करें और उनके हित की हद तक मामले का फैसला करें। उक्त स्पष्टीकरण के बाद, श्रीमती. ए. अन्नपूर्णा को

पार्टी के रूप में जोड़ा गया और उन्होंने अपना जवाब दावा भी पेश किया। पीडब्लू-1 को वापस बुलाया जाकर फिर से परीक्षित किया गया। डी. डब्ल्यू.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के बदले एक अतिरिक्त हलफनामा जिसके माध्यम से कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया की श्रीमती ए. अन्नपूर्णा के वाद की सम्पति में हित की हदमाँ तक ख़ुद को प्रतिबंधित करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करे और साथ ही डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा दायर अतिरिक्त हलफ़नामे को लोटाते हुए यह निर्देश दिया की उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार एक नया हलफनामा दायर किया जावे जो की प्रतिवादी सं. 8 के अधिकारों तक सीमित हो। 10वे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित उक़्त आदेश दिनांक 24.02.2002 को सी.आर.पी. सं. 3360/2005 के माध्यम से अनुच्छेद 227 के तहत् उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्व में पारित आदेशों के विशेष रूप से आदेश दिनांक 05.07.2001 जो की आदेश दिनांक 07.03.2000 को स्पष्ट करते हुए पारित किया गया था, उक़्त के अनुसार पुनरीक्षण याचिका को ख़ारिज करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को सही ठहराया। उपरोक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, प्रथम प्रतिवादी द्वारा हाजा न्यायालय की अनुमति से उक़्त अपील दायर की गयी।

4) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5) उक़्त अपील में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी/प्रथम-प्रतिवादी प्रकरण के सभी मुद्दों जिसमे अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल है, पर साक्ष्य देने का हकदार है या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अभियोजित प्रतिवादी सं. 8 की हद तक साक्ष्य देने का हक़दार है।

6) विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा श्रमसाध्य प्रतिवादित किया गया कि रिमांड और अतिरिक्त मुद्दे तैयार करने के पश्चयात्, अपीलार्थी नये साक्ष्य देने का हक़दार है, सिविल विविध याचिका सं. 22134/2000 इन सी.सी.सी.ए. सं. 94/1987 के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.07.2001 के माध्यम से पक्षकार केवल नये अभियोजित प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथनों में वर्णित प्रतिरक्षा के आधार के संबंध में साक्ष्य देने के लिए अधिकृत है। श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर आने की व अपने लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् पक्षकारों के लिए उक़्त लिखित कथनों की हद तक साक्ष्य पेश करना उचित है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.07.2001 का उल्लेख करना सार्थक है, जो निम्नानुसार हैः

> "यह बात विद्वान अधिवक्ता श्री बी. राममोहन रेड्डी द्वारा मेरे ध्यान में लाई गई है कि विचारण न्यायालय इस धारणा के अधीन है कि पूरे साक्ष्य को नए सिरे से लेखबद्ध किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण

न्यायालय को नये सिरे से संपूर्ण साक्ष्य को लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर आने की व लिखित कथन दायर करने की अनुमति दे और उनके हितों की हद तक प्रकरण का निस्तारण करे।

तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।"

यह स्पष्ट है कि सभी मुद्दों के संबंध में साक्ष्य को नए सिरे से लेखबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और निर्देशानुसार श्रीमती ए. अन्नपूर्णा को रिकॉर्ड पर लिया जाए व उनके लिखित कथनों को भी पत्रावली पर लिया जाए और उनके दावे के साथ-साथ अन्य सामग्रियों, जो की रिकॉर्ड पर मोजूद है, के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाए। वास्तव में, प्रकरण को रिमांड करने और प्रतिवादी सं. 8 को अभियोजित करने के पश्चात्, पीडब्लू-1 ने ख़ुद को प्रतिवादी सं. 8 के विरुद्ध मामले के हद तक ही सीमित रखा। उसी उपरांत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से यह प्रतिपादित किया की प्रथम प्रतिवादी को नए सिरे से अन्य मुद्दों पर साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम संतुष्ट हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.07.2001 सहित पूर्व के आदेशों को सही तरीक़े से समझकर प्रथम प्रतिवादी को सही दिशा-निर्देश

जारी किए गए कि उसे प्रतिवादी सं.8 द्वारा अपने लिखित कथनों में लिए गए प्रतिरक्षा के आधार तक ख़ुद को सीमित रखना है। हम फिर से दोहराते हैं और स्पष्ट करते हैं कि पक्षकारों को केवल नव-अभियोजित प्रतिवादी सं. 8 (श्रीमती ए. अन्नपूर्णा) द्वारा अपने लिखित कथनों में लिए गए प्रतिरक्षा के आधार के संबंध में नए साक्ष्य लेखबद्ध करवाये जाने की अनुमति है।

7) उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है। कोई कोस्ट नहीं।एस.के.एस

अपील का निस्तारण किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रशंसा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।